

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3(4)(2)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2012/ 11221-33

दिनांक 13-7-17

— आदेश —

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 26.5.2014 एवं 10.2.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवा निवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनों में से जो कम हो जो कि इस शर्त के अधधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री नन्दलाल शर्मा	16.5.1954	सनिअ द्वितीय जयपुर शहर	जयपुर द्वितीय शहर	द्वितीय बार
2.	श्री हीरालाल भाट	09.06.1954	सनिअ, उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
3.	श्री गम्भीर सिंह झाला	08.2.1956	सनिअ, उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
4.	श्री रफीक मोहम्मद	11.2.1953	सनिअ, उदयपुर	उदयपुर	द्वितीय बार
5.	श्री कैलाश चन्द	02.7.1955	न्याय विभाग, भरतपुर	भरतपुर	द्वितीय बार
6.	श्री हरी सिंह	14.4.1954	सनिअ, भरतपुर	भरतपुर	द्वितीय बार
7.	श्री भजन लाल	06.9.1955	शिक्षा विभाग, भरतपुर	भरतपुर	द्वितीय बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या कमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवैतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह स्वीकृति आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 120782/गृह-10/17 दिनांक 10.07.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

नोट:- क्रम सं. 4 पर अंकित संविदा कार्मिक की संविदा पर कार्य करने की अवधि दिनांक 31.1.2018 तक की मान्य होगी।

  
(देवेन्द्र दीक्षित)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन-----
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

२१५/२७/१७  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर